

No.



नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुरतिक



शोक गहलोत
मुख्यमंत्री
राज. सरकार



श्री शांति धारीवाल
नगरीय विकास स्वायत्त शासन
एवं आवासन मंत्री, राज. सरकार

आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्ड निश्चित विक्रय दर पर आवंटन हेतु

ग्रुप	प्लान का नाम	खण्डों की संख्या	पुर के कुल खण्डों की संख्या
ग्रुप A	भारत आहुजा नगर	35	300
	श्रीवा भावे नगर	167	
	कमलेश्वर योजना	48	
	श्रीवा नगर	30	
	श्रीवा नगर (मुख्य सड़क के पीछे)	4	
ग्रुप B	सुभाष नगर	18	20
	सुभाष नगर खलचूरी मर्चेंट योजना (मुख्य सड़क के पीछे)	9	
ग्रुप D	आर0के0पुरम् -A	91	600
	आर0के0पुरम् -B	157	
	श्रीनाथपुरम् - A	61	
	श्रीनाथपुरम् - B	119	
	श्रीनाथपुरम् - C	59	
	श्रीनाथपुरम् - D	81	
ग्रुप E	श्रीनाथपुरम् - E	32	1060
	योग	1060	

500/-

न पत्र विक्रय
भ करने की तिथि

26 मार्च 2021

न पत्र जमा
की अन्तिम तिथि

16 अप्रैल 2021

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका नीचे उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।
पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि सहित जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट

सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा
के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज—
 1. पेन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति। (आयकर दाता होने पर)
 2. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled चैक CTS 2010 अथवा पासबुक की प्रति सलंगन करें।
 3. निवास प्रमाण-पत्र
 5. स्वघोषणा पत्र (सलंगन प्रारूप के साथ)



Baroda Rajasthan kshetriya Gramin Bank

1. Nayapura Kota
2. Kota Junction
3. Keshavpura Kota
4. Dadabari Kota
5. Girdharpura Kota
6. Bhamashah Mandi Kota
7. Annantpura Kota
8. Kansuwa Kota
9. Gumanpura Kota
10. Badgav Kota
11. Nanta Kota
12. Borkheda Kota
13. R. K puram Kota
14. कोटा, बारां, झालावाड़ की सभी शाखाओं एवं बून्दी मुख्य शाखा।

आवेदन पत्र दिनांक 26 मार्च 2021 से
16 अप्रैल 2021 तक रू. 500/- के शुल्क पर
Baroda Rajasthan
kshetriya Gramin Bank की इन शाखाओं
से बैंक समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक
प्राप्त किये जा सकते हैं



नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500539

kotauit@yahoo.com

UIT Kota Website - <http://urban.rajasthan.gov.in/uitkota>

नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा शहर के बढ़ते शहरीकरण से भूखण्डों की दरें अधिक होने के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए क्रय करना कठिन हो गया था। व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना आवास हो, अपना व्यवसाय हो तथा व्यवसाय के लिए परिसर भी स्वयं का हो, इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यास द्वारा नये कोटा के मध्य में विभिन्न विकसित योजनाओं यथा अजय आहूजा नगर, विनोबा भावे नगर, कर्णेश्वर योजना, बालाजी नगर, सुभाष नगर, चाणक्यपुरी, टैगोर नगर, सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना आर0के0पुरम् A, आर0के0पुरम् B, श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E, में आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्डों को बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रयास है।

सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना के 9 भूखण्ड उपलब्ध है, उनका व्यावसायिक उपयोग अनुमत है, अन्य सभी योजनाओं यथा अजय आहूजा नगर, विनोबा भावे नगर, कर्णेश्वर योजना, बालाजी नगर, चाणक्यपुरी, टैगोर नगर, सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना आर0के0पुरम् A, आर0के0पुरम् B, श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E का उपयोग आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

कोविड-19 से भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कोटा शहर का व्यापार-व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है तथा रोजगार के अवसरों में कमी आई है। न्यास द्वारा आवासीय कम व्यावसायिक एवं व्यावसायिक भूखण्डों की दरों को बाजार दर के अनुसार 30-40 प्रतिशत कम करते हुए निश्चित विक्रय दर पर लॉटरी द्वारा आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है। भूखण्डों की कीमत के भुगतान के लिए भी 360 दिवस में भुगतान की सुविधा दी जा रही है तथा जो सफल आवेदक 30 दिवस में एक मुश्त भुगतान करना चाहे उनके लिए कुल कीमत के 4 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

न्यास द्वारा शहर की मुख्य योजनाओं अजय आहूजा नगर, विनोबा भावे नगर, कर्णेश्वर योजना, बालाजी नगर, सुभाष नगर, चाणक्यपुरी, टैगोर नगर, सुभाष नगर खलचूरी योजना मर्चेन्ट आर०के०पुरम् A, आर०के०पुरम् B, श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E, आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्डों आवंटन लॉटरी के माध्यम से निश्चित विक्रय दर पर किया जाना है जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में आवंटन हेतु आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्डों की कुल संख्या 1060 निर्धारित है, जो आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उक्त समस्त भूखण्डों, का आवंटन निश्चित विक्रय दर पर लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। भूखण्ड आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक होने के कारण नियमानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्डों की दरों को कम करते हुए लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। इससे नीलामी में भाग लेने से मुक्ति मिलेगी, साथ ही कोटा शहर में व्यापार एवं व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा।

उक्त योजनाओं की आवेदन पुस्तिका में आवेदन की शर्तें, भूखण्डों की दर, भूखण्डों की साईज आदि बिन्दुओं का उल्लेख कर दिया है। अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठायें।

शुभकामनाओं सहित।

राजेश जोशी

सचिव, नगर विकास न्यास,
कोटा

उज्ज्वल राठौड़

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास एवं
जिला कलक्टर, कोटा

ग्रुप-A

अजय आहुजा नगर, विनोबा भावे नगर, कर्णेश्वर योजना :-

योजना स्थल :-

अजय आहुजा नगर, विनोबा भावे नगर तथा कर्णेश्वर योजना, MBS मार्ग एवं खड़े गणेश जी मन्दिर के समीप है। इन योजनाओं के समीप ही प्राईवेट बस स्टैण्ड तथा कई मार्केट विकसित करने की योजना है।

योजना की विशेषताएं :-

- 1 अजय आहुजा नगर में 27 भूखण्ड 160 फीट चौड़ाई की सड़क पर ग्रीन बेल्ट के समीप तथा 58 भूखण्ड 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर है। विनोबा भावे नगर के 167 भूखण्डों में से 9 भूखण्ड 160 फीट चौड़ाई की सड़क पर ग्रीन बेल्ट के समीप तथा 110 भूखण्ड 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर है जिनमें से 50 भूखण्ड ग्रीन बेल्ट के समीप है एवं 48 भूखण्ड 60 फीट चौड़ाई की सड़क पर है। कर्णेश्वर योजना के 19 भूखण्ड 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर तथा 29 भूखण्ड 60 फीट चौड़ाई की सड़क पर है।
2. सभी भूखण्डों के प्लिंथ लेवल / डिमार्केशन का कार्य करवाते हुए नम्बरिंग का कार्य भी करवाया जा रहा है।
3. N.H. से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

साईज 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मी.

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	निश्चित दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति व.फी.)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
A	अजय आहुजा नगर	आवासीय कम व्यावसायिक	85	6,000/-	3,200/-	38,73,600/-	3,90,000/-
	विनोबा भावे नगर		167	7,500/-			
	कर्णेश्वर योजना	आ.कम व्या.	48	7,500/-			

ग्रुप-B

बालाजी नगर, सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड :-

योजना स्थल :-

बालाजी नगर तथा सुभाष नगर आवासीय योजनाएं सुभाष नगर बेट्टी गौरव सर्किल एवं निर्माणाधीन बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

योजना की विशेषताएं :-

1. बालाजी नगर के उपलब्ध सभी 30 भूखण्ड 100 फीट चौड़ाई की सड़क पर है। सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार से स्टोन मण्डी झालावाड़ रोड़ पर जाने वाली 160 फीट चौड़ाई की सड़क पर है।
2. भूखण्ड पूर्व की विकसित योजनाओं के अंतर्गत है।
3. डिमार्केशन / प्लिंथ लेवल भूखण्ड है।
4. निर्माणाधीन बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

साईज बालाजी नगर $7.5 \times 15 = 112.5$ वर्ग मी.

सुभाष नगर $6 \times 12 = 72$ वर्ग मी.

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	सड़क की चौड़ाई	निश्चित विक्रय दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति व.फी.)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
B	बालाजी नगर	आ.कम व्या.	30 मीटर	30	8,000/-	4,500/-	54,47,250/-	5,50,000/-
	सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक (मुख्य सड़क)	आ.कम व्या. (Size $6 \times 12 =$ 72)	48 मीटर	14	6,500/-		34,86,240/-	3,50,000/-

ग्रुप-C

चाणक्यपुरी, टैगोर नगर :-

योजना स्थल :-

चाणक्यपुरी तथा टैगोर नगर योजनाएँ कोटा रावतभाटा रोड़ के समीप है। इन योजनाओं के समीप ही न्यास की स्वामी विवेकानन्द नगर योजना तथा रानी लक्ष्मीबाई योजना है।

योजना की विशेषताएं :-

- 1 चाणक्यपुरी योजना के सभी 81 भूखण्ड 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर है तथा टैगोर नगर के उपलब्ध 8 भूखण्ड 60 फीट चौड़ाई की सड़क पर है।
2. भूखण्डों पर प्लिंथ लेवल / डिमार्केशन एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/52 से 1 कि०मी० की दूरी पर है।
4. राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वर्धमान ऑपन यूनिवर्सिटी तथा कोटा यूनिवर्सिटी इन योजनाओं के लगभग 3 कि.मी. के दायरे में है।

साईज 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मी.

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	सड़क की चौड़ाई (मीटर)	निश्चित विक्रय दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति व.फी)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
C	चाणक्यपुरी	आवासीय कम	36	81	6,000/-	3900/-	47,20,950/-	4,80,000/-
	टैगोर नगर	व्यावसायिक	18	8				

ग्रुप-D

सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक, सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना :-

योजना स्थल :-

सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड तथा सुभाष खलचूरी मर्चेन्ट योजना, सुभाष नगर बेट्टी गौरव सर्किल एवं निर्माणाधीन बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

योजना की विशेषताएं :-

1. भूखण्ड पूर्व की विकसित योजनाओं के अंतर्गत है।
2. ये भूखण्ड सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड जो 160 फीट चौड़ाई की सड़क पर स्थित है, उनके पीछे 20 फीट चौड़ाई की सड़क पर स्थित है। भूखण्डों के आगे पीछे सड़क है तथा पार्किंग के लिए प्रावधान है। सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना के उपलब्ध 9 भूखण्ड सुभाष नगर मुख्य सड़क पर स्थित खलचूरी मर्चेन्ट योजना के भूखण्ड संख्या 60 से 74 तक के पीछे 30 फीट चौड़ाई की सड़क पर है।
3. डिमार्केशन/प्लिंथ लेवल भूखण्ड है।
4. निर्माणाधीन बेट्टी गौरव पार्क के समीप है।

$$\text{साईज } 7.5 \times 15 = 112.5 \text{ वर्ग मी.}$$
$$6 \times 12 = 72 \text{ वर्ग मी}$$

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	सड़क की चौड़ाई	निश्चित विक्रय दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति व.फी.)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि
D	सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक (मुख्य सड़क के पीछे)	आ.कम व्या. (Size 6 X 12 = 72)	6 मीटर	18	6,500/-	3,000/-	23,24,180/-	2,40,000/-
	सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना	व्यावसायिक (Size 7.5 X 15 = 112.5)	9 मीटर	9			36,31,500/-	3,70,000/-

ग्रुप-E

आर०के० पुरम् A, B श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E, :-

योजना स्थल :-

आर०के० पुरम् एवं श्रीनाथपुरम् योजनाएं मेडिकल कॉलेज के समीप है। ये योजनायें बालाजी मार्केट, महावीर नगर विस्तार, कोटा रावतभाटा रोड़, विवेकानन्द नगर योजना के मध्य में है।

योजना की विशेषताएं :-

1. आर.के. पुरम योजना के सभी भूखण्ड 36 मीटर अर्थात् 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर है तथा श्रीनाथपुरम् योजना के 284 भूखण्ड 120 फीट चौड़ाई की सड़क पर एवं 68 भूखण्ड 60 फीट चौड़ाई की सड़क पर स्थित है।
2. प्लिंथ लेवल / डिमार्केशन एवं नम्बरिंग करवाई जा रही है।
3. N.H. 27/52 से 2.5 कि०मी० की दूरी पर है।
4. समीप ही मेडिकल कॉलेज तथा बालाजी मार्केट, ऑडिटोरियम एवं श्रीनाथपुरम स्टेडियम है।

साईज 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मी.

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	सड़क की चौड़ाई	निश्चित विक्रय दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या	आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति ब.फी.)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	पंजीयन राशि	
E	आर०के०पुरम् -A	आवासीय कम व्यावसायिक	36 मीटर	91	600	8,000/-	4,200/-	50,84,100/-	5,10,000/-
	आर०के०पुरम् -B			157					
	श्रीनाथपुरम् - A		36 मीटर	46					
			18 मीटर	15					
	श्रीनाथपुरम् - B		36 मीटर	119					
	श्रीनाथपुरम् - C			59					
	श्रीनाथपुरम् - D		36 मीटर	28					
	18 मीटर	53							
	श्रीनाथपुरम् - E		36 मीटर	32					

योजनाओं का विवरण:-

उक्त योजनाओं के अंतर्गत 5 ग्रुप बनाये गये हैं। आवेदक द्वारा जिस ग्रुप में आवेदन किया गया है। उसमें सम्मिलित योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध भूखण्डों की लॉटरी निकाली जावेगी अर्थात् आवेदन किसी योजना या योजना के भाग/सेक्टर के लिए नहीं किया जाकर ग्रुप के लिए करना होगा। योजनाओं में $7.5 \times 15 = 112.5$ वर्ग मी. के 1028 भूखण्ड तथा $6 \times 12 = 72$ वर्ग मी. के 32 भूखण्ड हैं। इस प्रकार कुल भूखण्डों की संख्या 1060 निर्धारित है। भूखण्डों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।

भूखण्डों के आवंटन के लिए पात्रता :-

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक स्वयं के नाम से अथवा फर्म के नाम से आवेदन कर सकता है।
3. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन पत्र भरने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (PAN) हो।
5. आवेदन संबंधी निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना करते हो।
6. आवेदक किसी भी आय वर्ग का हो वह किसी भी साईज के भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से रु 500/- भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं, एवं भरे हुए आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2. आवेदन पत्र कृपया शुद्ध हिन्दी में एकल नाम/संयुक्त नाम/फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम अपना पूर्ण नाम पता स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली, बाजार, मकान नं० सहित शहर/जिले का नाम, पिनकोड नं० सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं०/मोबाइल नं० यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम एवं शाखा का नाम आई.एफ.एस.सी कोड अंकित करें।
3. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाएँ।
4. आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित निर्धारित बैंक के माध्यम से जमा किये जायेंगे।

भूखण्ड आवंटन की शर्तें :-

भूखण्डों का आवंटन निश्चित विक्रय दर पर लॉटरी द्वारा किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ ग्रुप के अनुसार पंजीयन राशि जमा कराई जावेगी। इस राशि को भूखण्ड की देय राशि/कीमत में समायोजित कर लिया जावेगा। भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल, अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण निम्नानुसार है :-

ग्रुप	योजना का नाम	प्रयोजन/ प्रकार	निश्चित विक्रय दर पर प्रस्तावित भूखण्डों की संख्या		आरक्षित दर (प्रति वर्ग मीटर)	निश्चित विक्रय दर (प्रति व.फ़ी.)	भूखण्ड की अनुमानित कीमत	परजीवन चार्ज
A	अजय आहुजा नगर	आवासीय कम व्यावसायिक	85	300	6,000/-	3,200/-	38,73,600/-	3,90,000/-
	विनोबा भावे नगर		167		7,500/-			
	कर्णेश्वर योजना		48		7,500/-			
B	बालाजी नगर	आ.कम व्या.	30	44	8,000/-	4,500/-	54,47,250/-	5,50,000/-
	सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक (मुख्य सड़क)	आ.कम व्या. (Size 6 X 12 = 72)	14		6,500/-		34,86,240/-	3,50,000/-
C	घाणक्यपुरी	आवासीय कम व्यावसायिक	81	89	6,000/-	3900/-	47,20,950/-	4,80,000/-
	टैगोर नगर		8					
D	सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक (मुख्य सड़क के पीछे)	आ.कम व्या. (Size 6 X 12 = 72)	18	27	6,500/-	3,000/-	23,24,160/-	2,40,000/-
	सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना (मुख्य सड़क के पीछे)	व्यावसायिक	9				36,31,500/-	3,70,000/-
E	आर०के०पुरम् - A	आवासीय कम व्यावसायिक	91	600	8,000/-	4,200/-	50,84,100/-	5,10,000/-
	आर०के०पुरम् - B		157		8,000/-			
	श्रीनाथपुरम् - A		61		8,000/-			
	श्रीनाथपुरम् - B		119		8,000/-			
	श्रीनाथपुरम् - C		59		8,000/-			
	श्रीनाथपुरम् - D		81		8,000/-			
	श्रीनाथपुरम् - E		32		8,000/-			
योग			1060	1060				

नोट :

1. कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देय होगा।
2. भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल अधिक या कम होने पर तदनुसार राशि देय होगी।
3. भूखण्डों की संख्या उपलब्धता एवं मांग के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है।

1. भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 राजस्थान नगर सुधार न्यास नगरीय भूमि निस्तारण (नियम 1974) के समस्त प्रावधान, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी नियम/संशोधन के साथ लागू होंगे।
2. भूखण्डों का आवंटन प्रत्येक ग्रुप में उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा। न्यास सभी वैध आवेदन पत्रों के आधार पर आवंटन की गारन्टी नहीं देता है, वैध आवेदन पत्र व उपलब्ध भूखण्डों के आधार पर लॉटरी निकाली जायेगी।
3. प्रार्थियों को आवेदन पत्र, पंजीयन राशि व प्रशासनिक शुल्क के डी.डी./ चालान सहित जमा कराने होंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. राज्य सरकार की शर्तें, परिपत्र तथा न्यास का निर्णय प्रत्येक आवंटी को मान्य होगा।
5. भूखण्ड का आवंटन होने के पश्चात् आवंटी को न्यास से लीज डीड जारी करवाते हुए पंजीयन करवाना होगा। जिसका समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
6. भूखण्ड का हस्तान्तरण नगर विकास न्यास की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
7. आवंटी को भूखण्ड को विभाजित करने व अन्य भूखण्ड के साथ मिलाने का अधिकार न्यास की पूर्वानुमति के बिना नहीं होगा।
8. भूखण्ड आवंटन से पूर्व उपरोक्त अंकित भूखण्डों में परिवर्तन किया जा सकता है।
9. भूखण्ड का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
10. फर्म के नाम पर भूखण्ड आवेदन करने पर मुख्तारनामा या पार्टनर शिप डीड की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. भूखण्डों पर निर्माण न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र/टाइप डिजाइन के अनुसार ही किया जावेगा।
12. आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में स्व घोषणा पत्र देना होगा।
13. यदि किसी आवेदक के द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे में रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करवा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तों का पालन नहीं किया है तो ऐसे आवेदकों को जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जायेगा तथा आवंटन निरस्त कर लिया जायेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्र में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवंटन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित कर लें।

**आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज :-
समस्त वर्गों के लिए -**

1. पृथक-पृथक ग्रुप के अनुसार वांछित पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क रु 2000/- सहित संपूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करना होगा, जो **सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से देय हो।
2. पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति।
3. निवास का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट/सरकारी पहचान पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेन्स/टेलीफोन बिल/बिजली का बिल,/पानी का बिल/ गृहकर की रसीद,/बैंक पास बुक (जिसमें नाम व पता हो) आधार कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति।
4. स्व घोषणा पत्र।
5. आवेदक के बैंक खाते का केन्सिल चैक अथवा पासबुक की प्रति।

आरक्षित वर्ग के लिए:- उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित वर्गों से संबंध रखता है तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।




अजय आहुजा नगर



विनोबा भावे नगर



कर्णेश्वर योजना



बालाजी नगर





ग्रुप
C

चाणक्यपुरी

टैगोर नगर



सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक

ग्रुप
D

सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना

NIRMAX
CEMENT



विशेष अनुदेश :-

1. आवेदक अपना नाम पैन कार्ड (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या) के अनुसार लिखें।
2. आवेदक का स्थायी खाता संख्या दिया जाना आवश्यक है। साथ ही पैनकार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति लगाएं।
3. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है। एस.टी.डी कोड सहित अपना फोन नं. ई-मेल आईडी और मोबाईल नं. यदि कोई हो, आवेदन पत्र में लिखें।
4. धन राशि की वापसी का चैक मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
5. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें / डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के पक्ष में देय होना चाहिए।

आरक्षण :-

सभी ग्रुप / योजनाओं में गैर आवासीय अर्थात् आवासीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक भूखण्डों की कुल संख्या का 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु आरक्षित रखा जायेगा। जिसमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण रहेगा। किसी अन्य वर्ग का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

स्पष्टीकरण :-

1. आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित 5 गुप्स में से किसी भी गुप के लिए आवेदन किया जा सकता है। चूंकि प्रत्येक आवेदन पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्रों/चालान फार्मों का क्रमांक समान है अतः एक से अधिक गुप में अथवा एक गुप में एक से अधिक आवेदन करने हेतु पृथक-पृथक आवेदन क्रय करना होगा।
2. एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक आवेदन किये जा सकते हैं। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें एक से अधिक भूखण्ड आवंटन किये जा सकते हैं, किन्तु लॉटरी निकलने के पश्चात भूखण्ड निरस्त करने/पंजीयन राशि वापसी की मांग स्वीकार योग्य नहीं होगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र में पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को किया जायेगा।
5. संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
6. अन्य वर्ग से संबंधित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।
7. कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देय होगा।
8. भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल अधिक या कम होने पर तदनुसार राशि देय होगी।
9. भूखण्डों की संख्या उपलब्धता एवं मांग के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोटा होगा।

आवेदन कैसे करें :-

1. इन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवं प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) राशि रूपये 2000/- सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा कराना होगा।
2. आवेदन पुस्तिका में योजनाओं के 5 ग्रुप्स में से आवेदक अपनी सुविधानुसार आवेदन पत्र में वर्णित ग्रुप के वर्गीकरण में से किसी एक पर (✓) का चिन्ह लगाएं। एक से अधिक पर पर (✓) लगाने पर आवेदन पत्र अमान्य होगा। जिस ग्रुप के लिए (✓) का चिन्ह लगाया गया। उसी ग्रुप में आवंटित भूखण्ड आवेदक को मान्य होगा।
3. आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि व प्रशासनिक शुल्क (किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर द्वारा) पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा कराना होगा।
4. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूर्ण कर आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व जमा किये जायेंगे। यू.आई.टी. समापन समय के पश्चात किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति /जमा करने में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि/समय के बाद स्वीकार नहीं किये जाएंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया गया है कि भुगतान/डी.डी./बैंकर चैक की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जायेगा। न्यास लॉटरी के ड्रॉ में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नहीं करेगा।
6. किसी भी सशर्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्र को आवेदक को बिना कोई कारण बताएँ सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आवंटन की प्रक्रिया :-

1. उक्त योजनाओं में भूखण्डों की कुल संख्या 1060 निर्धारित है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार नियम 1974 के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी। तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी और लॉटरी के पूर्व अपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची न्यास के सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी। आवेदकों द्वारा अपूर्ण आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं करने पर उन्हें लॉटरी हेतु अयोग्य माना जावेगा जिसकी जिम्मेदारी न्यास की नहीं होगी। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर लॉटरी निकलने के उपरान्त भी किसी आवेदन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची में से नाम हटा दिया जावेगा।
2. सफल आवंटियों को माँग / आवंटन पत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाएंगे अथवा विशेष शिविर आयोजित कर वितरित किये जायेंगे, जिसकी सूचना हेतु स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई जायेगी तथापि ड्रा का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक / आवंटी को माँग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने / नहीं मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा। लॉटरी में आवेदकों को आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है। वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार राशि जमा करवाना होगा।

मांगी गई राशि के भुगतान की अवधि /पद्धति :-

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा :-

आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में 15 प्रतिशत,

आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में 35 प्रतिशत,

आवंटन पत्र जारी होने के 360 दिवस में 50 प्रतिशत, (जमा पंजीयन राशि कम करते हुए)

नोट:-

1. आवंटन पत्र जारी करने के 30 दिवस में जमा योग्य राशि अगले 90 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है, जिसमें ब्याज की गणना, 31वें दिवस से की जायेगी।
2. देय 35 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी करने के 240 दिवस में जमा करवाना होगा। यदि आवेदक 240 दिवस के उपरान्त किन्तु 360 दिवस के अन्दर जमा करवाता है तो 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाना होगा।
3. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा, इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कुल कीमत की 4 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
5. साईट प्लान के रू. 200/- देय अन्तिम किश्त अर्थात देय 50 प्रतिशत राशि के साथ जमा करवाने होंगे।

आवेदन पत्र के साथ जमा कराई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की राशि में समायोजित कर ली जावेगी। शेष भुगतान योग्य राशि स्थानीय चैक / डी.डी. / पे ऑर्डर द्वारा न्यास में जमा करवाई जा सकेगी अथवा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में निर्धारित अवधि में जमा करवाते हुए न्यास को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा।

असफल आवेदकों को पंजीयन राशि की वापसी:-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा जिसमें आवेदक ने आवेदन पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जावेगी। संबंधित बैंक असफल आवेदकों को वापसी के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जावेगी। यू.आई.टी. या बैंक योजना के बन्द होने के एक वर्ष के बाद राशि वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
2. जमा राशि वापस करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि खाता संख्या एवं पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

भूखण्डों की लीज डीड/रजिस्ट्री:-

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा कराने के उपरान्त आवंटी की फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करते हुए पट्टा विलेख (लीज डीड) प्रस्तुत करना होगा तदुपरान्त न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय में आवंटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदको द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी. हेतु वित्तीय संस्थाओं का पत्र मय आवेदन न्यास में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर न्यास द्वारा एन.ओ.सी. जारी की जा सकेगी। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज):-

1. आवंटी को भूखण्ड की लीज डीड जारी करने/कब्जा पत्र के समय नियमानुसार देय नगरीय कर (लीज मनी) की राशि आरक्षित दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अग्रिम जमा करवानी होगी। नगरीय कर की राशि प्रथम 5 वर्षों में आधी दर अर्थात् 2.5% प्रतिवर्ष देय है। प्रत्येक 15 वर्ष पश्चात् / प्रत्येक हस्तांतरण पर नगरीय कर में 25 प्रतिशत वृद्धि स्वतः ही हो जायेगी।
2. आठ (8) वर्ष का नगरीय कर पूर्ण दर से एक मुश्त जमा करवाने पर भविष्य में नगरीय कर में छूट प्रदान की जावेगी।

भूखण्ड का कब्जा:-

भूखण्ड के पट्टा विलेख (लीज डीड) का पंजीयन कराने के उपरान्त उसकी प्रति न्यास में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ही न्यास द्वारा भूखण्ड का कब्जा पत्र जारी करते हुए न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर कब्जा दिया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के कनिष्ठ अभियन्ता से संपर्क करना होगा। अन्यथा स्वतः कब्जा लिया हुआ माना जावेगा तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भूखण्ड के वास्तविक नाप के अनुसार भूखण्ड की राशि जमा करवानी होगी।

भूखण्डों का हस्तान्तरण:-

(A) भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने, कब्जा प्राप्त करने तथा अन्य कोई देय राशि हो तो जमा करवाने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात् विक्रय किया जा सकता है। यदि आवंटी दस वर्ष पूर्व भूखण्ड विक्रय करना चाहता है तो निम्नानुसार राशि देय होगी -

0 से 5 वर्ष के मध्य

प्रचलित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत

5 से 10 वर्ष के मध्य

प्रचलित आरक्षित दर का 5 प्रतिशत

(B) न्यास से स्वीकृति प्राप्त करके विक्रय पत्र का पंजीयन करवाकर नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन करने पर निम्नानुसार राशि न्यास में जमा करवाना होगा।

100 वर्गमीटर तक

10 रूपए प्रति वर्गमीटर

100 वर्गमीटर से 300 वर्ग मीटर तक

15 रूपए प्रति वर्गमीटर

300 वर्गमीटर से 500 वर्ग मीटर तक

20 रूपए प्रति वर्गमीटर

500 वर्गमीटर से अधिक

25 रूपए प्रति वर्गमीटर

नोट :- मृत्यु के प्रकरण में नाम हस्तान्तरण का शुल्क देय नहीं होगा।

भूखण्ड पर निर्माण कार्य:-

भूखण्ड के आवंटन तिथि से 5 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर निर्माण कार्य करना होगा। अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जायेगा तथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों में न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल नियमानुसार शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढ़ा सकते हैं। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से नक्शा स्वीकृत करवाते हुए निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

स्वा घोषणा पत्र

(समस्त आवेदको के लिए)

मैंपुत्र / पत्नि / पुत्री.....आयु.....

निवासी.....घोषणा करता हूं कि

1. यह कि मैंने आवेदन पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ लिया है तथा मेरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जावेगी।
2. यह कि मैं लॉटरी में आवंटन के पश्चात उसका आवसीय कम व्यावसायिक / व्यावसायिक उपयोग करूंगा। इसका उल्लंघन करने पर मेरा आवंटन निरस्त करने एवं उस पर जमा राशि जब्त करने का अधिकार नगर विकास न्यास, कोटा का होगा।

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं.....पुत्र / पत्नि / पुत्री.....

.....आयु.....निवासी.....घोषणा

करता / करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूं कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत / मिथ्या पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

आवेदक / संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु
प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....
...../पुत्री/पत्नि श्री.....

निवासी.....
जिला.....(राज.) जाति..... के सदस्य है
जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी
(कार्यालय की मोहर सहित)

(सम्बन्धित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब
तहसीलदार द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जा
सकती है।)



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:- एफ.11/विकय/2021/207

दिनांक:- 25 जनवरी, 2021

--: कार्यालय आदेश --:

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.17(22)UDH/Rules/2020 दिनांक 04-01-2021 द्वारा भूमि निष्पादन नियम 1974 में दिनांक 04-01-2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार किये गये संशोधनों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नियम 3 में भूमि का लीज होल्ड से फीहोल्ड में परिवर्तन करवाया जा सकता है। इस संशोधन के अनुसार लीज होल्ड अर्थात् 99 वर्षीय लीज के आधार पर आवंटित किये गये आवासीय/ व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटी लीज की अवधि व प्रास्थिति को लीज होल्ड से फीहोल्ड में परिवर्तित कराना चाहता है तो उसे 10 साल की लीज एकबार ही जमा कराकर उसे फीहोल्ड में परिवर्तित करा सकता है। यदि किसी आवंटी द्वारा पूर्व में एक मुश्त लीज अर्थात् आठ वर्ष की लीज एक साथ जमा करा रखी है तो दो वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा कराकर भूखण्ड की अवधि और प्रास्थिति को लीज होल्ड से फीहोल्ड में परिवर्तित करा सकता है।
2. लीज होल्ड से फीहोल्ड कराने का आवेदन आवंटी/पट्टेदार अथवा उप पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. फीहोल्ड होने से 99 वर्ष के बाद भी हमेशा के लिए मालिकाना हक मिल सकेगा।
4. फीहोल्ड के लिए उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर न्यास द्वारा फीहोल्ड से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
5. नियम 7(1) किसी भी प्रयोजनार्थ धारित भूमि जिसमें मल्टीप्लेक्स सम्मिलित है (वाणिज्यिक प्रयोजनों को छोड़कर) आवंटन की दिनांक को प्रभावी आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत। केवल वाणिज्यिक मामलों में आवंटन की दिनांक को प्रभावी आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से नगरीय कर देय है।
6. डेयरी, मूसा गोदाम, कृषि प्रसंस्करण ईकाई, स्वयं उत्पादक के वेयर हाऊस/कोल्ड स्टोरेज आदि कृषिजन्य प्रदार्थों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अतः इन्हें वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं माना जायेगा।
7. नगरीय कर का प्रत्येक 15 वर्ष एवं प्रति हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि हस्तान्तरण के बाद की तिथि को एक मुश्त नगरीय कर की राशि जमा करवाई गई है तो नगरीय कर में उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत की वृद्धि लागू होने के कारण तदनुसार अन्तर राशि जमा की जायेगी।
8. निम्न प्रकरणों में लीज होल्ड से फीहोल्ड की अनुमति नहीं होगी।
 1. सीमित ओर विशेष उद्देश्य के लिए निश्चित अवधि हेतु आवंटित भूमि
 2. नियम 15-बी के अन्तर्गत समयबद्ध लघु अवधि की विभागीय प्ररियोजनाओं हेतु केन्द्र/ राज्य सरकार व उनके अभिकरणों को आवंटित भूमि
 3. किसी भी संस्था/व्यक्ति को गैर आवासीय अथवा गैर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रियायती दर पर विशेष शर्तों के साथ आवंटित भूमि
 4. योजना क्षेत्र के बाहर नियम 16 के अन्तर्गत आवंटित गैर आवासीय/ गैर वाणिज्यिक भूमि
 5. नियम 18, 18-ए, 18-बी के अन्तर्गत कीमतन, रियायती दर अथवा टोकन मनी (निःशुल्क) आवंटित भूमि जो सार्वजनिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं अथवा गुप हाऊसिंग सोसायटीज को आवंटित की गई हो।
 6. संयुक्त उद्यमों (Joint Vanture) को नियम 18 के तहत आवंटित भूमि
 7. नियम 19 के तहत चैरिटेबल एवं सार्वजनिक संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं को आवंटित भूमि
 9. नियम 10 में फिक्स रेट पर आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। इस नियम के अनुसार पूर्व में रियायती दर पर आवासीय भूखण्डों का आवंटन नियम 17 में निर्धारित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को

इस शर्त पर किया जाता था कि उनके नाम अथवा उनके परिवार में उनके आश्रितों के नाम पर राजस्थान के किसी शहर में जिसकी जनसंख्या 50,000 से अधिक है में कोई अन्य आवास/भूखण्ड आदि नहीं है। उक्त शर्त को नवीन संशोधन में हटा दिया गया है, तथा राजस्थान के निवासियों को आवासीय भूखण्डों का नियमों में वर्णित विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को फिक्स रेट पर आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

10. नियम 14-ए में नीलामी के भूखण्डों में निम्नानुसार निर्माण शास्ति वसूल योग्य होगी :-

आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक शून्य

5 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर का 1 प्रतिशत प्रति वर्ष

10 वर्ष पश्चात् आवंटी को 6 माह में निर्माण पूरा करने का नोटिस दिया जावेगा, 10 वर्ष बाद की अवधि के लिए प्रचलित आरक्षित दर का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष शास्ति देय होगी।

उक्त 6 माह की अवधि के पश्चात् लीज/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। तत्पश्चात् न्यास द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से उक्त वसूली गई शास्ति के अतिरिक्त प्रचलित आरक्षित दर का 2 प्रतिशत शास्ति वसूल करते हुए प्रकरण का नियमित किया जा सकेगा।

आवंटन/नीलामी के प्रकरणों में समान रूप से निर्माण अवधि 5 वर्ष की गई है। साथ ही निर्माण शास्ति की दर भी समान कर दी गई है।

11. पूर्व में नीलामी के भूखण्डों में निर्माण के लिए अवधि 3 वर्ष थी जिसे बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है। अर्थात् पाँच वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर निर्माण शास्ति देय नहीं होगी।

12. नीलामी के भूखण्ड के लिए पाँच वर्ष की अवधि में निर्माण (आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जिसमें एक आवासीय ईकाई एक कमरा, रसोई एवं लेट-बाथ)/व्यावसायिक होने पर एक वाणिज्यिक ईकाई, जैसी भी स्थिति हो या ग्रुप हाऊसिंग/प्लेट्स/संस्थानिक प्रयोजन/व्यावसायिक प्रयोजन इत्यादि के लिए ग्राउण्ड कवरेज क्षेत्र के 1/5 भाग पर निर्माण नहीं कराने पर शास्ति देय होगी।

13. नियम 17(5) आवंटित भूखण्ड की राशि जमा करने के सम्बन्ध में :-

1. आवंटित किये गये भूखण्ड की राशि आवंटन की सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस में जमा करानी आवश्यक होगी। सूचना प्राप्ति की तिथि के लिए न्यास में गणना हेतु डाक में लगने वाले समय के लिए 7 दिवस के अनुसार किया जाता रहा है। अतः आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से 7 दिवस से सूचना प्राप्ति हेतु माना जाकर 30 दिवस की गणना की जायेगी। (दिनों की गणना हेतु प्रारम्भ का या अन्त का दिन सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदाहरणार्थ 10 जनवरी से 37 दिवस की गणना के लिए 37 दिवस 16 फरवरी को पूर्ण होंगे)

2. अगले 90 दिवस तक अर्थात् आवंटन से 120 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करानी होगी।

3. ब्याज की गणना आवंटन की सूचना प्राप्ति की तिथि के 31 वें दिवस से की जावेगी।

4. आवंटन की सूचना प्राप्ति की तिथि से 120 दिवस की अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

5. राशि जमा कराने पर आवंटन का नियमन निम्नानुसार किया जा सकेगा।

क.सं.	आवंटित तिथि से अवधि	बकाया राशि पर ब्याज की दर	बकाया राशि पर शास्ति	नियमन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर
1.	121 वें दिवस से एक वर्ष तक	15 प्रतिशत	5 प्रतिशत	अध्यक्ष न्यास मण्डल
2.	1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष तक	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत	न्यास मण्डल
3.	2 वर्ष से अधिक	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	राज्य सरकार

14. नियम 17 (6) में फिक्स रेट पर आवंटित मूखण्ड को आवंटी द्वारा 10 वर्ष तक विक्रय नहीं किया जा सकेगा परन्तु 10 वर्ष पूर्व मूखण्ड विक्रय करने पर निम्नानुसार शास्ति देय होगी।

0 से 5 वर्ष के मध्य विक्रय करने पर प्रचलित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत राशि

5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर का 5 प्रतिशत राशि

15. नियम 14 (बी) के अन्तर्गत किये गये आवंटनो को ही फिक्स रेट पर आवंटित मूखण्ड माना जाता था किन्तु अब 14 (बी) के साथ-साथ 17 (5) के अन्तर्गत किये गये आवंटनो को भी फिक्स रेट पर आवंटित किये गये मूखण्ड माना जायेगा।

1. पूर्व में 14 (बी) के अन्तर्गत (किसी बाजार को स्थापित करने/ किसी व्यवसाय को भीड़-माड के क्षेत्र से शिफ्ट करने/ किसी क्षेत्र में विकास कार्यों के परिणामतः अन्य क्षेत्र में पुनर्वासित करने) किये गये आवंटनो पर 10 वर्ष से पूर्व विक्रय के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान नहीं थे। 14 (बी) एवं 17(5) के अन्तर्गत किये गये आवंटित मूखण्डो के 10 वर्ष पूर्व विक्रय करने पर शास्ति देय होगी। शास्ति की दर 0 से 5 वर्ष के लिए प्रचलित आरक्षित दर के 10 प्रतिशत तथा 5 से 10 वर्ष तक के लिए प्रचलित आरक्षित दर के 5 प्रतिशत की दर से शास्ति देय होगी।

2. इस सम्बन्ध में न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 09-01-2021 में हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं निर्णय के अनुसार पूर्व की योजनायें जिनमें आवंटन 14 (बी) के अन्तर्गत किये गये थे, उनमें से अधिकांश योजनाएँ यथा- जीएमए मार्केट, क्लॉथ मार्केट, स्वर्ण रजत मार्केट आदि में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर जिसको हस्तान्तरित किया जा रहा है उसके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर की वह उसी प्रकार का व्यवसाय करेगा जिसके लिए मूलतः मूखण्ड आवंटित किया गया था। नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की गई किन्तु विश्वकर्मा/ ट्रांसपोर्ट नगर जिसे 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है तथा टायर मार्केट जिसे 5 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो गई है, नाम हस्तान्तरण से सम्बन्धित कार्यवाही विचाराधीन है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों को भी उक्त परिपक्ष्य में जिनमें 5 वर्ष से अधिक हो गया है किन्तु 10 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है नियमानुसार प्रचलित दर की 5 प्रतिशत शास्ति जमा कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। तथा जिनमें 10 वर्ष पूर्ण हो गये हैं उनमें हस्तान्तरण पर रोक नहीं होगी। आवंटन की शर्तों की पालना का शपथ पत्र लिया जावे।

3. लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में- न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 09-01-2021 को हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं निर्णय के अनुसार टायर मार्केट योजना में वर्ष 2013 में सम्बन्धित व्यावसायियों को मूखण्डो का आवंटन किया गया था। अधिकांश आवंटियों द्वारा तत्समय सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई थी। किन्तु लीजडीड एवं कब्जा पत्र कुछ ही आवंटियों को जारी हुआ उसी दौरान राज्य सरकार द्वारा सरकार बदलने की 6 माह की अवधि के प्रकरणों की समीक्षा के लिए भेजी गई सूची में टायर मार्केट का भी उल्लेख था जिसके कारण राशि जमा करने, लीजडीड जारी करने, कब्जा पत्र जारी करने की प्रक्रिया तत्समय रोक दी गई जिसे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बहाल किया गया। तदुपरान्त उक्त आवंटियों द्वारा लीजडीड व अन्य कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यास द्वारा आवंटियों से पात्रता से सम्बन्धित ओर दस्तावेज मांगे गये, जिसका आवंटन एवं राशि जमा कराने के कई वर्ष उपरान्त कोई औचित्य नहीं है। अतः जिन आवंटियों द्वारा समस्त राशि जमा करा दी गई है उनकी लीजडीड, आवंटियों के पक्ष में जारी की जाने का निर्णय लिया गया है।

16. नियम 17 (6)ए आवंटित मूखण्डो में निर्माण शास्ति निम्नानुसार वसूल योग्य होगी।

आवंटन तिथि से 5 वर्ष तक शून्य

5 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रचलित आरक्षित दर का 1 प्रतिशत प्रति वर्ष

10 वर्ष पश्चात् आवंटी को 6 माह में निर्माण पूरा करने का नोटिस दिया जावेगा, 10 वर्ष बाद की अवधि के लिए प्रचलित आरक्षित दर का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष शास्ति देय होगी।

उक्त 6 माह की अवधि के पश्चात् लीज/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। तत्पश्चात् न्यास द्वारा राज्य

सरकार के अनुमोदन से उक्त वसूली गई शास्ति के अतिरिक्त प्रचलित आरक्षित दर का 2 प्रतिशत शास्ति वसूल करते हुए प्रकरण का नियमित किया जा सकेगा।

17. नियम 20-ए नाम हस्तान्तरणों के प्रकरणों में निम्नानुसार दरे निर्धारित की गई है।

क्षेत्र वर्गमीटर में फीस रूपये प्रति वर्गमीटर में

100 वर्गमीटर तक	10/-
100 से 300 वर्गमीटर तक	15/-
300 से 500 वर्गमीटर तक	20/-
500 वर्गमीटर से अधिक	25/-

मृत्यु के प्रकरणों में नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में कोई फीस वसूल योग्य नहीं होगी। नाम हस्तान्तरण के प्रकरणों में मौका निरीक्षण नहीं किया जावेगा।

18. जिन प्रकरणों में बिना न्यास की स्वीकृति प्राप्त किये बैचान कर दिया गया है, ऐसे प्रकरणों में नाम हस्तान्तरण फीस के साथ-साथ अवैध बैचान शास्ती भी देय होगी। यदि एक से अधिक बार अवैध बैचान हुआ है तो प्रत्येक बैचान के लिए नाम हस्तान्तरण फीस एवं अवैध बैचान शास्ती (जो प्रति वर्गफीट निर्धारित है) देय होगी।

19. नियम 14 (बी) अथवा 17 (5) के अन्तर्गत किए गये आवंटनों में बिना न्यास की स्वीकृति प्राप्त किए बैचानों के प्रकरणों में निम्नानुसार शास्ति देय होगी।

1. 10 वर्ष के पूर्व अवैध बैचान के लिए :-

आवंटन तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए

5 वर्ष से 10 वर्ष के लिए

प्रचलित आरक्षित दर के 10 प्रतिशत शास्ति

प्रचलित आरक्षित दर के 5 प्रतिशत शास्ति

2. न्यास मण्डल की 192 वीं बैठक दिनांक 30-08-2019 के बिन्दु संख्या 33 के अनुसार मूखण्ड/आवास के स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु निम्नानुसार शास्ति लेकर हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रत्येक अवैध बैचान के लिए निम्नानुसार शास्ति भी देय होगी :-

क्र.सं. अवधि

आवासीय हेतु दर
प्रति वर्ग फीट

व्यावसायिक
प्रति वर्ग फीट

1. बैचान तिथि से 6 माह के अन्दर	12.50 रु.	25.00 रु.
2. बैचान तिथि से 6 माह से 12 माह के अन्दर	15.62 रु.	31.25 रु.
3. बैचान तिथि से 12 माह से 24 माह के अन्दर	18.75 रु.	37.50 रु.
4. बैचान तिथि से 24 माह से 36 माह के अन्दर	21.88 रु.	45.00 रु.
5. बैचान तिथि से 36 माह से अधिक समय होने पर	24.00 रु.	48.00 रु.

3. नाम हस्तान्तरण फीस (अंतिम कंता से उसके नाम हस्तान्तरित करने के कम में)

अतः राज्य सरकार द्वारा भूमि निष्पादन नियम 1974 में दिनांक 04-01-2021 को जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार किये गये संशोधन के आदेश जारी किये जाते हैं। उक्त आदेश के कम में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः नहीं लौटाई जावेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

हस्ता

सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा

1001A 0017

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-

(1) चालान नं.

(2) दिनांक

(3) राशि

(4) डी डी नं.

10. आवेदन पत्र के साथ सलंगन प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

PAN CARD D.D. Cancelled Cheque CTS 2010 आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र स्वघोषणा पत्र
 / पास बुक की प्रति

11. मैंने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्तें स्वीकार हैं।

12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. समय - समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाएँ सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :-

क्रमांक

नाम व पता

आवासीय कम व्यावसायिक/व्यावसायिक भूखण्ड, निश्चित विक्रय दर पर आवंटन हेतु

आवेदक का नाम.....
पता.....
.....

आवेदन गुप

चालान राशि

बैंक का नाम

(बड़ौदा राज. क्षे. प्रा. बैंक)

चालान संख्या


जमा करने की तिथि

CPY

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

6
29-
Mar-
2021
0321215917101
फोन नं. 9571167140 View
Postal (Departmental User)

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203243

 नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति


(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता


 अजय आहुजा नगर, विनोबा
भावे नगर, कर्णेश्वर योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	3,90,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	3,92,000/-

प्रक्षरे रूपये, तीन लाख बानवे हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203243

 नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति


(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम


पता

 अजय आहुजा नगर, विनोबा
भावे नगर, कर्णेश्वर योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	3,90,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	3,92,000/-

अक्षरे रूपये, तीन लाख बानवे हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203243
 नगर विकास न्यास, कोटा
 तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं.


दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

ग्रुप-A अजय आहुजा नगर, विनोबा
 भावे नगर, कर्णेश्वर योजना

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203243
 नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

ग्रुप-A अजय आहुजा नगर, विनोबा
 भावे नगर, कर्णेश्वर योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	3,90,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	3,92,000/-

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	3,90,000/-
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं. दिनांक.....	
योग :-	3,92,000/-

अक्षरे रूपये, तीन लाख बानवे हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये, तीन लाख बानवे हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203244



नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

बालाजी नगर, सुभाष नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

(i) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर
= 5,50,000/-

(ii) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर
= 3,50,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203244



नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

बालाजी नगर, सुभाष नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

(i) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर
= 5,50,000/-

(ii) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर
= 3,50,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Complimentary Copy

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203244



नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता



बालाजी नगर, सुभाष नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203244



नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता



बालाजी नगर, सुभाष नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

(i) $7.5 \times 15 = 112.5$ वर्ग मीटर

= 5,50,000/-

(ii) $6 \times 12 = 72$ वर्ग मीटर

= 3,50,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

(i) $7.5 \times 15 = 112.5$ वर्ग मीटर

= 5,50,000/-

(ii) $6 \times 12 = 72$ वर्ग मीटर

= 3,50,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203245



नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता



चाणाक्यपुरी, टैगोर नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203245



नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

Complimentary Copy



चाणाक्यपुरी, टैगोर नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

विवरण	रूपये	विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	4,80,000/-	पंजीयन राशि	4,80,000/-
7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर		7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं.		डी.डी. नं.	
दिनांक.....		दिनांक.....	
योग :-	4,82,000/-	योग :-	4,82,000/-

अक्षरे रूपये, चार लाख बियासी हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये, चार लाख बियासी हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

वडौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203245



नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

वडौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203245



नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता



चाणाक्यपुरी, टैगोर नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड



चाणाक्यपुरी, टैगोर नगर

आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड

विवरण	रूपये
जीयन राशि 5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	4,80,000/-
शासनिक शुल्क डी. नं. नांक.....	2,000/-
योग :-	4,82,000/-

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर	4,80,000/-
प्रशासनिक शुल्क डी.डी. नं. दिनांक.....	2,000/-
योग :-	4,82,000/-


रूपये, चार लाख बियासी हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

अक्षरे रूपये, चार लाख बियासी हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203246

 नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक


नाम

पिता/पति का नाम

पता

 सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक,
सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203246

 नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यूआई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

 सुभाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक,
सुभाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना

विवरण	रूपये	विवरण	रूपये
पंजीयन राशि		पंजीयन राशि	
(i) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर = 2,40,000/-		(i) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर = 2,40,000/-	
(ii) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर = 3,70,000/-		(ii) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर = 3,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-	प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं.		डी.डी. नं.	
दिनांक.....		दिनांक.....	
योग :-		योग :-	

अक्षरे रूपये,

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203246



नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

ग्रुप-D सुमाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक,
सुमाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
(i) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर = 2,40,000/-	
(ii) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर = 3,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203246



नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता


ग्रुप-D सुमाष नगर आवासीय कम व्यावसायिक,
सुमाष नगर खलचूरी मर्चेन्ट योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
(i) 6 X 12 = 72 वर्ग मीटर . = 2,40,000/-	
(ii) 7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर = 3,70,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2,000/-
डी.डी. नं.	
दिनांक.....	
योग :-	

अक्षरे रूपये,

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203247

 नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

 ग्रुप-E

आर0के0 पुरम् A, B,
श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

5,10,000/-

7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक

योग :-

5,12,000/-

अक्षर रूपये, पाँच लाख बारह हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203247



नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं.

दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

 ग्रुप-E

आर0के0 पुरम् A, B,
श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E

विवरण

रूपये

पंजीयन राशि

5,10,000/-

7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक

योग :-

5,12,000/-

अक्षर रूपये, पाँच लाख बारह हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203247



नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

ग्रुप-E आर0के0 पुरम् A, B,

श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E

विवरण रूपये

पंजीयन राशि

7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर

5,10,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

5,12,000/-

अक्षरे रूपये, पाँच लाख बारह हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा.बैंक A/C 45800100203247



नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक

नाम

पिता/पति का नाम

पता

ग्रुप-E आर0के0 पुरम् A, B,

श्रीनाथपुरम् A, B, C, D, E

विवरण रूपये

पंजीयन राशि

7.5 X 15 = 112.5 वर्ग मीटर

5,10,000/-

प्रशासनिक शुल्क

2,000/-

डी.डी. नं.

दिनांक.....

योग :-

5,12,000/-

अक्षरे रूपये, पाँच लाख बारह हजार रूपये मात्र

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

